[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 19th January, 2026

NOTIFICATION

No. 9-13/2024-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application dated 18.03.2024 was submitted by GMR Institute of Technology (GMRIT) on UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under general Category to GMR Institute of Technology (GMRIT) GMR Nagar, Rajam, Srikakulam, Vizianagaram District, Andhra Pradesh under Section 3 of the UGC Act, 1956:

3. **And whereas,** UGC, vide its letter No. 10-6/2024 (CPP-I/DU) dated 11.12.2024, informed that the application was examined by its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee recommended conferment of status of Deemed to be University under General Category to GMR Institute of Technology (GMRIT) GMR Nagar, Rajam, Srikakulam, Vizianagaram District, Andhra Pradesh.

4. **And whereas**, the Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 584th meeting (Item No. 2.09) held on 13.11.2024.

5. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares GMR Institute of Technology (GMRIT), GMR Nagar, Rajam, Srikakulam, Vizianagaram District, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University under general category. The said declaration is subject to the following conditions:

i. The Institution should endeavour to be a multi-disciplinary Institution with inter-disciplinary programmes.
ii. The Institution should focus on increasing the number of students in PG and Ph. D. Programme.
iii. The Institute should revisit the mission and vision statements to incorporate the character of a university and strategically and successfully align it with the National Education Policy 2020.
iv. The curriculum of various programs has to be revised in accordance with the National Education Policy 2020, especially with regard to offering of credit-based courses such as Indian Knowledge Systems, Multidisciplinary Open Electives, courses in Humanities and Social Sciences including Management courses.

v. The Institution should invest in extensive faculty development programs to gear up for the challenges of transformation into a university.

vi. The Institution should upgrade the laboratories with better equipment.

vii. The Institution should follow all the UGC Regulations which are relevant to bring transparency in smooth function of university.

viii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

ix. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

(Armstrong Pame)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2307 1486

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
2. The Director, GMR Institute of Technology (GMRIT) GMR Nagar, Rajam, Srikakulam, Vizianagaram District, Andhra Pradesh
3. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Andhra Pradesh
4. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
6. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
7. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
8. PS to Hon'ble EM for information.
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23381578

[भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 19 जनवरी, 2026

अधिसूचना

सं. 9-13/2024-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि,** जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीएमआरआईटी) द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीएमआरआईटी) जीएमआर नगर, राजम, श्रीकाकुलम, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर दिनांक 18.03.2024 का एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था:

3. **और जबकि,** (ख) यूजीसी ने दिनांक 11.12.2024 के अपने पत्र सं. 10-6/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने जीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान (जीएमआरआईटी) जीएमआर नगर, राजम, श्रीकाकुलम, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।

4. **और जबकि,** आयोग ने दिनांक 13.11.2024 को हुई अपनी 584वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे स्वीकृति दी।

5. **अब, इसलिए**, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, एतद् द्वारा जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीएमआरआईटी), जीएमआर नगर, राजम, श्रीकाकुलम, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. संस्थान को अंतर-विषयात्मक कार्यक्रमों के साथ एक बहु-विषयक संस्थान बनने का प्रयास करना चाहिए।

ii. संस्थान को पीजी और पीएच.डी. कार्यक्रम में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

iii. संस्थान को विश्वविद्यालय के स्वरूप को समाहित करने के लिए मिशन और विजन के विवरण पर फिर से विचार करना चाहिए और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ कार्यनीतिक और सफलतापूर्वक अनुकूलित करना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम को, विशेष रूप से क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रमों जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली, बहु-विषयक मुक्त वैकल्पिक, प्रबंधन

पाठ्यक्रमों सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में संशोधित किया जाना है।

v. संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तन की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु व्यापक संकाय विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।

vi. संस्थान को बेहतर उपकरणों के साथ प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना चाहिए।

vii. संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी विनियमों का पालन करना चाहिए जो विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए प्रासंगिक हैं।

viii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम-विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

ix. जब और जैसा भी आवश्यक हो, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या पुनर्निर्मित या संशोधित करेगा।

(आर्मस्ट्रांग पामे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2307 1486

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002 ।

<u>प्रतिप्रेषित</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
2. निदेशक, जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीएमआरआईटी) जीएमआर नगर, राजम, श्रीकाकुलम, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश
3. प्रमुख सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे सीएमआईएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
8. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री को सूचनार्थ।
9. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : +91 11 23381578